बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0—16/अरोप—05—26/2025 1741 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना दिनांक— 08/05/25

महापौर, नगर निगम, बेगूसराय के ज्ञापांक—43, दिनांक—16.08.2024 के माध्यम से श्री शिव शक्ति कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा प्रेम प्रसंग संबंधित विडियो फुटेज नगर निगम बेगूसराय के कार्यालय में बनाने तथा उनके कार्यकलाप के संबंध में विभाग स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय जाँच समिति द्वारा मामले की जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि श्री शिव शक्ति कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा प्रेम प्रसंग संबंधित विडियो फुटेज नगर निगम बेगूसराय के कार्यालय में बनाया गया है साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उप नगर आयुक्त, श्री शिव शक्ति कुमार, नियंत्री पदाधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं बगैर सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं।

2. श्री शिव शक्ति कुमार, बि0न0से0, तत्कालीन उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय द्वारा प्रेम प्रसंग संबंधी विडियो फुटेज नगर निगम, बेगूसराय के कार्यालय में बनाने, नियंत्री पदाधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं वगैर सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उन्हे विभागीय अधिसूचना सं0—6225, दिनांक—20.08.2024 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई।

3. श्री शिव शक्ति कुमार, बि0न0से0, तत्कालीन उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के जवाब के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री शिव शक्ति कुमार को सरकारी कर्मी होने के आलोक में उन्हे सरकारी सेवक आचार नियमावली के विषय में सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो की उनके द्वारा नहीं किया गया।

4. उक्त के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री कुमार को उक्त कृत्य के लिए **"निन्दन"** दंड संसूचित करते हुए श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

5. तदनुसार श्री कुमार को उक्त कृत्य के लिए **"निन्दन"** दंड संसूचित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार को निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे और कोई भी लाभ/भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
ह०/—

(वर्षा सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–16 / अरोप–05–26 / 2025 – 1741 / न0वि0आ0वि0, पटना / दिनांक– 08/05/25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय एवं नगर निगम, कहिटार / श्री शिव शक्ति कुमार, बि0न0से0, तत्कालीन उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / अपर सचिव (श्रीमती वर्षा सिंह) के आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 / श्री पंकज कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/05/2025

सरकार के अपर सचिव।